बिहार विधान परिषद् सचिवालय

प्राक्कलन आमंत्रण

बिहार विधान मंडल के नव निर्मित भवन के परिषद् सचिवालय के हिस्से में पड़ने वाले कक्षों, गलियारा, बरामदा, शौचालय इत्यादि की साफ–सफाई सामग्री सहित कार्य करने के लिए इच्छुक निबंधित प्रतिष्ठानों/संवेदकों से निविदा की तिथि से 22.08.2017 को 4.00 बजे अपराह्न तक प्राक्कलन निम्नांकित शर्त्तो के अधीन आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. संस्थान/संवेदक का निबंधन प्रमाण, आयकर प्रमाण तथा सेवा कर प्रमाण पत्र प्राक्कलन के साथ संलग्न रहना चाहिए।

2. संस्थान/संवेदक को तीन वर्षो का कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न रहना चाहिए।

3. निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि के दौरान प्राप्त किया जा सकता हैं इसकी जानकारी बिहार विधान परिषद् के वेवसाईट www.biharvidhanparishad.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

4. प्राक्कलन के साथ 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) मात्र का A/c Payee Demand Draft/FDR/Bankers Cheque of any nationalised bank drawn in favour of D.D.O., Bihar Vidhan Parishad, Patna' Payable at Patna संलग्न होना चाहिए।

5. प्राक्कलन सचिव, बिहार विधान परिषद् के पदनाम से देय होगा एवं दिनांक 22.08.2017 को 4.00 बजे अपराह्न उनके कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा, जिसमें संस्थान/संवेदक की प्रतिनिधि रह सकते हैं।

6. सभी अथवा किसी प्राक्कलन को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार सचिव, बिहार विधान परिषद् को सुरक्षित रहेगा।

28.7.17

सचिव

बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान मंडल के नव–निर्मित परिषद् भवन के साफ–सफाई हेतु निम्नलिखित शर्त्तों के अनुसार प्राककलन स्वीकृत किया जायेगा।

1. प्राक्कलन देने वाले संस्थान/संवेदक का पंजीकृत ऑफिस पटना में होना अनिवार्य है।

2. सफाई संबंधित सामग्री यथा डस्टर, मोपड, शौचालय ब्रश, भैकुंप क्लीनर, फर्श क्लीनर मशीन, डिटॉल साबुन, पीयर्स साबुन, डिटॉल लिक्विड, बाथरूम क्लीनर, ग्लास क्लीनर, फर्नीचर क्लीनर, कुलीन, ऑडोनील, भीम पावडर, सर्फ, फिनाईल गोली, फिनाईल तेल, तेजाब, रूम स्प्रे, हीट, बेगॉन स्प्रे, ब्लीचिंग पावडर, आलआउट मशीन एवं रिफील, नारीयल झाड़ू, फूल झाड़ू, डस्टबीन, बाल्टी, मग, बाथरूप स्प्रे, हार्पिक इत्यादि की आवश्यकता है।

3. यह एग्रीमेंट एक वर्षों के लिए होगा, कार्य संतोषप्रद होने पर समिति की निर्णयानुसार विस्तार किया जायेगा

4. किये जाने वाले कार्यों का भुगतान प्रतिमाह विपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् कार्यालीय प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी, कार्य संतोषजनक नहीं रहने की स्थिति में आंशिक कटौती भी की जा सकती है।

5. कार्य की समयावधि सुबह 7.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वराह्न तक तथा पुनः 2.00 बजे अपराह्न से 6.00 बजे संध्या तक तथा कार्यालय अवधि में बीच के समय में रोस्टर के अनुसार सफाई कर्मी रहेंगे।

6. निर्धारित अवधि में प्राक्कलन नहीं प्रस्तुत करने पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

7. प्राककलन में दिये गये कागजातों पर संस्थान/संवेदक द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित कर संलग्न किया जायेगा।

8. नव–निर्मित परिषद् भवन का कुल क्षेत्रफल 4,667 स्कावयर मीटर है तथा कुल बाथरूमों की संख्या 70 है।

9. प्राक्कलन स्वीकृति एवं कार्य करने का पत्र निर्गत होने के पश्चात् 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत संचित राशि (सिक्योरिटी डिपोजिट) के रूप में Bank Draft/Bank Guarantee of a nationalised bank drawn in favour of D.D.O., Bihar Vidhan Parishad, Patna' Payable at Patna के माध्यम से जमा करना होगा एवं सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि पर कोई सूद देय नहीं होगा।

28.7.17

सचिव
बिहार विधान परिषद्